

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/550 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

आकांक्षा सिंह,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० कविता सिंह, राजा मोहन गर्ल्स पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

ml
23-02-2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० कविता सिंह, राजा मोहन गर्ल्स पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/551 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Anjali Sangtani,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० असीम त्रिपाठी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Mh
23-5-2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० असीम त्रिपाठी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शै०/ 552 / 2022

दिनांक: 22.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

श्री अनुराग मिश्र,
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० राज कुमार मिश्रा, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Mly
22.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० राज कुमार मिश्रा, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/553 /2022

दिनांक: 28.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

श्री मनोज कुमार,
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० वी०सी०एच०एन०के० श्रीनिवास राव, एल०बी०एस०पी०जी० कालेज, गोण्डा।

शोध उपाधि समिति की अनुशांसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Msh
28.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० वी०सी०एच०एन०के० श्रीनिवास राव, एल०बी०एस०पी०जी० कालेज, गोण्डा।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/554 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

महजबी हाशमी,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Msy
22.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/555 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

ममता सिंह,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० मीनू दुबे, राजा मोहन गर्ल्स पी०जी०कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


23-02-2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० मीनू दुबे, राजा मोहन गर्ल्स पी०जी०कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/556 / 2022

दिनांक: 23.07.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

मोनिका द्विवेदी,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० जनमेजय कुमार तिवारी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

M86
23.07.22
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० जनमेजय कुमार तिवारी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/557 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

पूनम पाण्डेय,
पुत्री श्री.....
.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० जनमेजय कुमार तिवारी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

M. K.
23.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० जनमेजय कुमार तिवारी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/५५४ / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

प्रेम लता,
पुत्री श्री.....
.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० विष्णु कुमार, का० सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

1184
23-02-2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० विष्णु कुमार, का० सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/559 / 2022

दिनांक:23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

राहु कुमार,
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० विष्णु कुमार, का० सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Handwritten signature
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० विष्णु कुमार, का० सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

Handwritten signature
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/560 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

आकांक्षा श्रीवास्तव,
पुत्री श्री.....

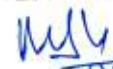
विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० वी०सी०एच०एन०के० श्रीनिवास राव, एल०बी०एस०पी०जी० कालेज, गोण्डा।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० वी०सी०एच०एन०के० श्रीनिवास राव, एल०बी०एस०पी०जी० कालेज, गोण्डा।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/561 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

रुबी सिंह,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० असीम त्रिपाठी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Mdy
23.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० असीम त्रिपाठी, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/562 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ० रा० लो० अवध वि० वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

समरीन सईद,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

Msk
23.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/563 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

श्री सुनील,
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० रत्नेश वरनवाल, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

msk
21.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० रत्नेश वरनवाल, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 564 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

ब्यूटी,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

M84
22.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० निशा सिंह, राणा प्रताप पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 565 / 2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

यशी श्रीवास्तव,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० राज कुमार मिश्रा, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

M84
23-02-2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० राज कुमार मिश्रा, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/566 /2022

दिनांक: 23.02.2022

प्रेषक :

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

प्रज्ञा वर्मा,
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अंग्रेजी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० राम शंकर यादव, जवाहर लाल नेहरू पी०जी० कालेज, बाराबंकी।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

M4
23.02.2022
सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० राम शंकर यादव, जवाहर लाल नेहरू पी०जी० कालेज, बाराबंकी।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(शैक्षणिक)

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / ५२२ / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/ श्रीमती/ कु० गुंजन वैस
पुत्र श्री श्री० अन्तोष सिंह वैस

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति एवं पुस्तक

विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डा० राजेश सिंह आवासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० राजेश सिंह आवासीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

MSG
19.02.2022
सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / ५७३ / २०२२

दिनांक: 19-02-2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/ श्रीमती/ क० अश्विनेश कुमार
पुत्र श्री काशीनाथ तिवारी

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति एवं फुलतत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० रम० पी० सिंह आवाहीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० प्रो० रम० पी० सिंह आवाहीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

MSK
19-02-2022
सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 524 / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कु० आनंद कुमार दुबे
पुत्र श्री श्रीमकारनाथ दुबे

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति स्वे पुरातत्त्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० एन० के० तिवारी आकासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० प्रो० एन० के० तिवारी आकासीय परिसर को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

19.02.2022
सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / 525 / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/ श्रीमती/ कु० पारवीन कुमार तिवारी
पुत्र श्री राममनोहन तिवारी

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

सिद्धासंस्कृतिसं पुस्तकालयविषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-शोध निर्देशक का नाम: डॉ० रमन के० तिवारी आवासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० डॉ० रमन के० तिवारी आवासीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 526 / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कु०- 2 जितेश कुमार अग्रहरी
पुत्र श्री गुणमोहन अग्रहरी

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30.01.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० राम० पी० सिंह झावासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० डॉ० राम० पी० सिंह झावासीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

M.S.G.
19.02.2022
सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / 527 / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/ श्रीमती/ कु० रंजीत वर्मा
पुत्र श्री

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

संविधान संस्कृति एवं पुरातत्वविषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-शोध निर्देशक का नाम: डॉ० रंजन पी० सिंह झावासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० डॉ० रंजन पी० सिंह झावासीय परिसर को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


 19.02.2022
 सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 528 / 2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कुल-तोष कुमार ना
पुत्र श्री

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

सिद्धांत संस्कृति सं. पुरातत्व

विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम **डॉ० रजनी के० तिवारी आवासीय परिसर**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० **रजनी के० तिवारी आवासीय परिसर**
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / 529 / 2022

दिनांक: 11.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री / श्रीमती / कु० विशाल विक्रम सिंह
पुत्र श्री अपुल वल्लभ सिंह

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्वविषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-शोध निर्देशक का नाम: डॉ० राजेश सिंह आवासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० राजेश सिंह आवासीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/५३ /2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/ श्रीमती/ कु० साधन।
पुत्र श्री D/c राम नारायण यादव

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति सं प्रज्ञा विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **डा० राजेश सिंह आवासीय परिसर**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० **राजेश सिंह आवासीय परिसर** को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

MS
19.02.2022
सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शै०/ 531 / 2022

दिनांक: 29.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कु० मुमन भारती
मुख्य श्री राम आशीष

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

इतिहास संस्कृति संघ पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 30-01-2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० एन० के० तिवारी ज्ञानासीय परिसर

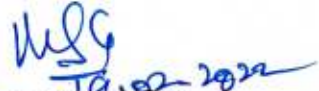
शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० डॉ० एन० के० तिवारी ज्ञानासीय परिसर
को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


सहा०कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शै०/ 532/2022

दिनांक: 19.02.2022

प्रेषक:

सहा०कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कु० रमाकान्त सिंह
पुत्र श्री

विषय शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

सिद्धान्त संस्कृति संस्थान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डा० राजेश चौधरी ज्ञावासीय परिसर

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सहा०कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० राजेश चौधरी ज्ञावासीय परिसर को सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

MS4
19.02.2022
सहा०कुलसचिव